भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.**824** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 29 नवंबर, **2024/8 अग्रहायण**, **1946 (शक)** को दिया जाना है

बंदरगाह प्रदूषण का विनियमन

†824. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में बंदरगाहों पर प्रदूषण के मुद्दे पर हाल ही में कोई सर्वेक्षण/ अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में बंदरगाहों पर पिछले पांच वर्षों में समुद्र में छोड़े गए प्रदूषकों की कुल मात्रा का बंदरगाह-वार और राज्य–वार विशेषकर आंध्र प्रदेश हेतु ब्यौरा क्या है;

(ग) बंदरगाहों पर प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है और देश में पिछले पांच वर्षों में राज्य–वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में इसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने बंदरगाहों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में बंदरगाहों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) क्या सरकार ने विशेषकर आंध्र प्रदेश में बंदरगाह प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाया है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवधिक रूप से पत्तनों पर वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है और पत्तनों का नियमित पर्यावरण ऑडिट भी करता है। सभी पत्तन एमएआरपीओएल कन्वेंशन का पालन करते हैं और इसलिए, पर्यावरण से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं।

(ग) और (घ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कार्बन की तीव्रता को कम करने और महापत्तनों पर पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए हरित पत्तन दिशा-निर्देश

"हरित सागर" जारी किए हैं, जिसके लिए कोई विशेष बजट आबंटन नहीं किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें प्रस्तावित हैं:-

• स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले या तटीय विद्युत प्राप्ति सुविधाओं से सुसज्जित पोतों को बर्थिंग में प्राथमिकता दी जाएगी या पत्तनों पर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बर्थ शुल्क में छूट दी जाएगी।

• पत्तनों पर वैकल्पिक ईंधन (हरित ईंधन) जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग करने वाले निजी जलयान संचालकों को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

• निजी पत्तनप्रचालक, स्टीवडोर्स, एजेंट, निर्यातक और आयातक जो अपने पूरे बेड़े के लिए हरित ईंधन या विद्युत वाहनों का उपयोग करते हैं, उन्हें हरित प्रमाणन प्राप्त हो सकता है और प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

• सभी ट्रक ऑपरेटर जो हरित ईंधन अर्थात सीएनजी/एलएनजी/हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न या विद्युत बेड़े का उपयोग करते हैं, उनकी पहचान की जा सकती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।

• पत्तनों पर मौजूदा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) रियायतप्राप्तकर्ताओं को पर्यावरण अनुकूल और कार्बन-शून्य डिजाइनों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम पत्तन सहित महापत्तनों ने पत्तनों पर प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:-

• पत्तनों पर आने वाले सभी जलयानों के लिए स्वच्छ सागर पोर्टल में नौवहन महानिदेशालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन।

• पत्तनों द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से कार्बन में कमी।

• सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना।

• धूल कणों को नियंत्रित करने के लिए लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे बल्क कार्गो के लिए ढके हुए कार्गो स्टैक।

• खनिज धूल के फैलाव को रोकने के लिए मिस्ट कैनन और हाइड्रेटेड स्प्रिंकलर।

• मौजूदा बर्थों का यंत्रीकरण, जिसके फलस्वरूप कन्वेयर के माध्यम से कार्गो परिवहन संभव हो सके।

• पत्तनों में ग्रीन बेल्ट विकसित किए गए।

• प्रचालन क्षेत्रों में सड़कों पर फैले कार्गो को इकट्ठा करने के लिए यंत्रीकृत स्वीपिंग मशीनें।

(ङ):पत्तनों पर समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह आदि पर नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

*****